जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांकः–ज.वि.प्रा./उपा./जोन–13/2022/डी–5363 दिनांक 21/X/22

जन सम्पर्क अधिकारी,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

विषयः–राजस्व ग्राम–गुनावता, तहसील–आमेर के पट्टाशुदा भूखण्ड क्षेत्रफल 37987.70 व.मी. का मोटल प्रयोजन से रिसोर्ट्स प्रयोजनार्थ पट्टा हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक द्वारा ग्राम–गुनावता, तहसील–आमेर के खसरा नम्बर 40 रकबा 1.00 है0, 41 रकबा 0.24 है0, 45 रकबा 0.15 है, 46 रकबा 0.36 है0, 49 रकबा 0.78 है0, 44 रकबा 0.05 है0, 47 रकबा 0.44 है0, 48 रकबा 0.26 है, 52 रकबा 0.17 है0, 55 रकबा 0.22 है0, 56 रकबा 0.13 है0 में क्षेत्रफल 37987.70 व.मी. का मोटल प्रयोजन हेतु जारी पट्टे के स्थान पर रिसोर्ट्स प्रयोजनार्थ पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः संलग्न विज्ञप्ति का दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में 8 फोंट साईज में प्रकाशन करवाकर विज्ञप्ति की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004
दुरभाष 91–141–2569795 : ईपीबीएक्स –+91–141–2569696 एक्सटे.: 8340

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांकः–ज.वि.प्रा./उपा./जोन–13/2022/डी–5363 दिनांक 21/X/22

प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन

प्रार्थी रीयलवर्थ होटल एण्ड रिसोर्ट्स प्रा. लि., जरिये निदेशक श्री अनिल कुमार गुप्ता, पंजीकृत कार्यालय–6 डी, कॉरपोरेट टावर, ए–2, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर–302017 द्वारा राजस्व ग्राम–गुनावता, तहसील–आमेर के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 40 रकबा 1.00 है0, 41 रकबा 0.24 है0, 45 रकबा 0.15 है, 46 रकबा 0.36 है0, 49 रकबा 0.78 है0, 44 रकबा 0.05 है0, 47 रकबा 0.44 है0, 48 रकबा 0.26 है, 52 रकबा 0.17 है0, 55 रकबा 0.22 है0, 56 रकबा 0.13 है0 कुल किता–11 कुल रकबा 3.80 हेक्टेयर के धारा 90–बी के आदेश प्रकरण संख्याः–961/2008 दिनांक 28.04.2008 द्वारा रिसोर्ट्स प्रयोजनार्थ जारी किया गया। तत्पश्चात् राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग की प्राप्त स्वीकृति क्रमांकः–प.3(180) नविवि/3/2010 दिनांक 06.04.2010 की पालना में क्षेत्रफल 37987.70 व.मी. भूमि का दिनांक 30.04.2010 को मोटल प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी किया गया है। भूखण्ड के पूर्व–पश्चिम एवं उत्तर दिशा में कृषि भूमि तथा दक्षिण दिशा में 48.00 मीटर चौडी सडक विद्यमान है।

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम, 2021 के बिन्दु संख्या–5 (नियम–6 का प्रतिस्थापन) "6 (समितियों की शक्तियॉ)" (1) की तालिका के बिन्दु संख्या–2(iii) के क्रम में भू–उपयोग परिवर्तन मोटल प्रयोजन से रिसोर्ट प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना के दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस की कालावधि के भीतर भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त कालावधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सूचित रहें।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 21/X/22 को जारी की गयी।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–7/2022/डी– 2255 दिनांक 20/10/2022

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	सुश्री जान्हवी अग्रवाल पुत्री श्री पवन कुमार अग्रवाल	श्रीमती श्यामा देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल अग्रवाल	बी–206 बी	235.75 व.ग.	नेहरू गृ.नि.स. स.	आम्रपाली नगर	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	सहकारी समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान व रसीद एवं अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर

उपायुक्त, जोन– 7
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः– जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

PRO 21/10/22

उपायुक्त, जोन– 7
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः–जविप्रा/उपा./जोन–09/2022/डी– 6026 दिनांकः– 21/10/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	B-12	378.66	शिव आफिसर्स कॉलोनी	दीपक चतुर्वेदी एवं राजु चतुर्वेदी पुत्रान स्व. श्री कौशल किशोर शर्मा	श्री कौशल किशोर शर्मा	मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजिकृत वसीयतनामा के आधार पर

उपायुक्त जोन-9,
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का करावें।

उपायुक्त जोन–9,
जविप्रा, जयपुर।

21/10/22

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {8320}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल {abusufiyan.ras@gmail.com}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–1/2022/डी– 2960 दिनांक 21/10/22

प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन/निर्धारण

जविप्रा, जयपुर क्षेत्र में स्थित ग्राम मानपुर देवरी (कैप्सटन मीटर्स प्रा. लि.) टोंक रोड़ तहसील जयपुर के खसरा नं. 118/196, 118/197, 118/198 पार्ट व 119 पार्ट (कुल किता 4) कुल रकबा लगभग 12 एकड़ (19 बीघा, 4 बिस्वा) भूमि का भू–उपयोग मास्टर विकास योजना–2025 एवं जोनल विकास योजना–3 में विशिष्ट क्षेत्र दर्शित है।

दिनांक 23.04.1965 को राज्य सरकार द्वारा प्रश्नगत भूमि की औद्योगिक प्रयोजनार्थ लीजडीड कैप्सटन मीटर्स प्रा. लि. के पक्ष में जारी की गई। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25)नविवि/सामान्य/2014 पार्ट जयपुर, दिनांक 06.10.2022 के अनुसरण में प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग मास्टर विकास योजना–2025 एवं जोनल विकास योजना–3 में दर्शित विशिष्ट क्षेत्र में से आवेदित भूमि व्यावसायिक भू–उपयोग निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू–उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना अनुसार विशिष्ठ क्षेत्र (पूर्व में औद्योगिक प्रयोजनार्थ लीजडीड जारी) से व्यावसायिक भू–उपयोग परिवर्तन/निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त परिवर्तन/निर्धारण के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो, किन्ही दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा उपायुक्त, जोन–01 को प्रस्तुत कर सकते है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक ..... को जारी की गयी।

सचिव
जविप्रा, जयपुर।

21/10/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष- : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {1140}: ई-मेल : actpmp2025@gmail.com

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मा.प्लान), जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें:–

उपायुक्त जोन–1,
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–1/2022/डी– 2959 दिनांक 21/10/22

प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन/निर्धारण

जविप्रा, जयपुर क्षेत्र में स्थित ग्राम झालाना, डूंगर (पुष्पा जयपुरिया फाउण्डेशन) तहसील सांगानेर के खसरा नं. 177 व 178 (कुल किता 2) कुल रकबा 7.5 एकड़ भूमि का भू–उपयोग मास्टर विकास योजना–2025 एवं जोनल विकास योजना–3 में दर्शित विशिष्ट क्षेत्र में से आवेदित भूमि का भू–उपयोग नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक पं.18(25)नविवि/सामान्य/2014 पार्ट जयपुर, दिनांक 06.10.2022 के अनुसरण में मिश्रित भू–उपयोग निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू–उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना अनुसार विशिष्ठ क्षेत्र से मिश्रित भू–उपयोग निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त निर्धारण के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो, किन्ही दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा उपायुक्त, जोन–01 को प्रस्तुत कर सकते है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक ..... को जारी की गयी।

सचिव
जविप्रा, जयपुर।

PRO 21/10/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मा.प्लान), जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें:–

उपायुक्त जोन–1,
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–7/2022/डी– 2254 दिनांक 20/10/2022

प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन

जयपुर क्षेत्र में स्थित मोती भवन गृ.नि.स.स. की योजना हनुमान नगर के भू.स. डी–14, डी–15, डी–16 एवं डी–17 क्षेत्रफल 2727.05 वर्गगज का पुर्नगठन स्वीकृति पत्र श्री अभिमन्यू गोलछा पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गोलछा एवं श्रीमती उषा गोलछा पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार गोलछा के पक्ष में दिनांक 15.06.2022 को जारी किया गया था। श्री अभिमन्यू गोलछा द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू–उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना में दर्शित मिश्रित (30 मी. गहराई तक) तत्पश्चात आवासीय भू–उपयोग के अनुसार आवासीय से मिश्रित भू–उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। भवन विनियम–2020 के बिन्दु संख्या 21 के उपबिन्दु संख्या 6(i) अनुसार आवेदित भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत से अधिक भाग मिश्रित उपयोग में तथा शेष भाग आवासीय उपयोग में आने की स्थिति में सम्पूर्ण भूखण्ड का मिश्रित प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर 80 फीट सडक, दक्षिण दिशा की ओर भू.सं. डी–18, 19, 20 व 21, पूर्व दिशा की ओर अन्य भूखण्ड एवं पश्चिम दिशा की ओर भू.सं. डी–13 स्थित है।

अतः नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू–उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना अनुसार आवासीय से मिश्रित भू–उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त उपान्तरण के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो, किन्ही दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा उपायुक्त, जोन–07 को प्रस्तुत कर सकते है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 20/10/2022 को जारी की गयी।

सचिव
जविप्रा, जयपुर।

PRO 21/10/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष- : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {1140}: ई-मेल : actpmp2025@gmail.com

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकःजविप्रा/उपा./जोन–12/2022/डी–3642 दिनांक 21.10.2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जविप्रा, जयपुर।

विषय :–90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलंग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

PRO 21/10/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन–12/2022/डी–3642 दिनांक : 21-10-2022

सार्वजनिक सूचना

इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित खातेदार श्री मोहन लाल शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ए–5, शान्ति निकेतन कालोनी बरकत नगर, जयपुर
व श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ए–1, ए–4, पटेल निवास, शान्ति निकेतन कालोनी, बरकत नगर, जयपुर द्वारा व्यावसायिक उपयोग हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	कुल क्षेत्रफल (हैक्ट.)	90ए से पहले का स्वामित्व	वर्तमान स्वामित्व
तहसील सांगानेर जिला जयपुर	हरचन्दपुरा देवलिया	133/1 137	0.1000 0.3525	मोहन लाल शर्मा एवं अशोक कुमार शर्मा	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
		कुल किता 2	**0.4525 हैक्ट.**		

अतः उक्त भूमि का उपयोग व्यावसायिक में अनुमोदन किये जाने के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था/हितधारक को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करावें अन्यथा नियत अवधि पश्चात नियमानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 21.10.22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004
दुरभाष – +91–141–2574798 : ईपीबीएक्स – +91–141–2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स–+91–141–2574555
e-mail:

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकःजविप्रा/उपा./जोन–12/2022/डी– 3641 दिनांक 21-10-2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जविप्रा, जयपुर।

विषय :–90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलंग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

PRO 21/10/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन–12/2022/डी– 3641 दिनांक 21-10-2022

सार्वजनिक सूचना

इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित खातेदार श्री मोहन लाल शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ए–5, शान्ति निकेतन कालोनी बरकत नगर, जयपुर
व श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ए–1, ए–4, पटेल निवास, शान्ति निकेतन कालोनी, बरकत नगर, जयपुर द्वारा वाणिज्यि (पेट्रोल पम्प) उपयोग हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	कुल क्षेत्रफल (हैक्ट.)	90ए से पहले का स्वामित्व	वर्तमान स्वामित्व
तहसील सांगानेर जिला जयपुर	हरचन्दपुरा देवलिया	137	0.1575	मोहन लाल शर्मा एवं अशोक कुमार शर्मा	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
		कुल किता 1	**0.1575 हैक्ट.**		

अतः उक्त भूमि का उपयोग वाणिज्यि (पेट्रोल पम्प) में अनुमोदन किये जाने के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था/हितधारक को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करावें अन्यथा नियत अवधि पश्चात नियमानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 21/10/22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004
दुरभाष – +91–141–2574798 : ईपीबीएक्स – +91–141–2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स–+91–141–2574555
e-mail:

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा/जोन–06/उपा./डी– 3555 दिनांक 21.10.2022

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :– धारा 90ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : लोक सूचना विज्ञप्ति।

21/10/22

उपायुक्त जोन–06,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....3555 दिनांक..21.10.2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण निजी खातेदारी की योजना प्रेमनगर झोटवाडा के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टे.)	स्वामित्व
झोटवाडा तहसील जयपुर	1278/1177	0.0295	राजकुमारी बडाया पत्नी राजेन्द्र बडाया हि. पूर्ण जाति महाजन खण्डेलवाल सा. 30 घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 21.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–06 जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन – 6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा/जोन–06/उपा./डी–3558 दिनांक 21-10-22

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :– धारा 90ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : लोक सूचना विज्ञप्ति।

उपायुक्त जोन–06,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

उपायुक्त जोन – 6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

PRO 21/10/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या 3554 दिनांक 21-10-22

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **मित्र गृ.नि.स.स** की योजना कूकरखेडा के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टे.)	स्वामित्व
महापुरा उर्फ कुकरखेडा तहसील जयपुर	90	0.1012	श्री टेकचन्द पुत्र मातादीन हि. 1/2, श्री सीताराम पुत्र श्री मदनलाल हि. 1/2 जाति ब्राहम्मण सा. बख्तावरपुरा जिला झुन्झुनू खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 21.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–06 जविप्रा, जयपुर।
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा/जोन–06/उपा./डी– 3521 दिनांक 21-10-22

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :– धारा 90ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : लोक सूचना विज्ञप्ति।

PRO 21/10/22

उपायुक्त जोन–06,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

उपायुक्त जोन-06
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....3561 दिनांक.....21-10-22

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण श्री छत्रपति गृ.नि.स. स. की योजना प्रताप नगर–बी/श्रीश्यामकुंज के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टे.)	स्वामित्व
माचडा तहसील आमेर	873/1242	0.4000	सजंय कुमार सैनी पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हि. पूर्ण जाति माली क–25, भवानी नगर, सीकर रोड, जयपुर खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 21.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–06 जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–4/2022/डी–2385 दिनांक 21-10-2022

प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन

जयपुर क्षेत्र में स्थित किसान गृ.नि.स.स.लि. की योजना स्कीम नं. 2 के पुर्नगठित भू.स. 4, 5, 6 व 7 क्षेत्रफल 1073.52 वर्गगज की लीजडीड श्री कल्पना दवाच्या पत्नी श्री टी.आर. मीणा के पक्ष में दिनांक 16.05.2011 को जारी की गई। श्री कल्पना दवाच्या पत्नी श्री टी.आर. मीणा द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू–उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना में दर्शित आवासीय भू–उपयोग से पर्यटन इकाई (होटल) भू–उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर भू.स. 8 व 3, दक्षिण दिशा की ओर 40 फीट चौडी सडक, पूर्वी दिशा की ओर 100 फीट चौडी सड़क एवं पश्चिम दिशा की ओर 30 फीट रोड़ स्थित है।

अतः नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू–उपयोग आवासीय से पर्यटन इकाई (होटल) प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त उपान्तरण के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो, किन्ही दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा उपायुक्त, जोन–04 को प्रस्तुत कर सकते है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 21-10-2022 को जारी की गयी।

18/10/22

सचिव

जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {1140}: ई-मेल : actpmp2025@gmail.com

जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / ज.वि.प्रा / उपा. / जोन–4 / 2022 / डी– 2381 दिनांक. 19.10.2022

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड की लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांकः से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	गृ. नि. स. स.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	10	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्री राजकुमार रेनवाल पुत्र स्व. श्री भोलाराम	श्रीमती सरबती देवी पत्नी श्री भोलाराम	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत वसीयतनामा
2	10ए	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्री हरि किशन पुत्र स्व. श्री भोलाराम	श्रीमती सरबती देवी पत्नी श्री भोलाराम	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत वसीयतनामा
3	12ए	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्री ओम प्रकाश बसवाल पुत्र श्री चुन्नीलाल बसवाल	श्री नगन्नाथ बैरवा पुत्र श्री रामपाल बैरवा	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर।
4	12 (दक्षिणी भाग)	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्रीमती तृलसी देवी पत्नी श्री रमेश चन्द	श्री रामजीवन बैरवा पुत्र श्री गंगाराम बैरवा	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर।
5	14 (उत्तरी भाग)	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्री किशन पुत्र श्री बद्री नारायण	श्री धन्नालाल बैरवा पुत्र श्री झूथाराम बैरवा	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर।

उपायुक्त जोन-4
ज.वि.प्रा. जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर– 302004
दूरभाष - 0141–2574798 : ईपीबीएक्स - 91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई मेल
:dc.zone04@jaipurjda.org

6	14 (दक्षिणी भाग)	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री धन्नालाल उर्फ रामधन बैरवा	श्री धन्नालाल बैरवा पुत्र श्री झूथाराम बैरवा	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर।
7	16	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री दशरथ राम	कुमारी अल्का शर्मा पुत्री श्री महावीर प्रसाद शर्मा	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, पंजीकृत संशोधन पत्र के आधार पर।
8	17	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्री हरलाल बैरवा पुत्र श्री भूराराम बैरवा	कुमारी मंजू शर्मा पुत्री श्री महावीर प्रसाद शर्मा	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर।
9	18–ए	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्री हरि नारायण बैरवा पुत्र सव. श्री नाथूराम बैरवा	श्री मुकुट बिहारी शर्मा पुत्र स्व. श्री आशाराम शर्मा	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अपंजीकृत इकरारनामा एवं पंजीकृत उपहार पत्र के आधार पर।
10	20	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्रीमती सुनिल कुमारी पत्नी श्री ओम प्रकाश बैरवा	श्री मुरारी लाल बैरवा पुत्र श्री दीपचन्द बैरवा	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर।
11	26ए	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्रीमती अल्का सिंह पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह	श्री राजीव कुमार पुत्र श्री गोपाल आचार्य	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अपंजीकृत प्रतिज्ञा पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा, पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर।

उपायुक्त जोन-4
ज.वि.प्रा. जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर– 302004

दूरभाष - 0141–2574798 : ईपीबीएक्स - 91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई मेल :dc.zone04@jaipurjda.org

12	26	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्रीमती ममता कंवर पत्नी श्री प्रदीप सिंह	श्री राजीव कुमार पुत्र श्री गोपाल आचार्य	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अपंजीकृत प्रतिज्ञा पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा, पंजीकृत विक्रय पत्र, पंजीकृत शुद्धि पत्र के आधार पर।
13	बी 31	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्री ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री केदार गुप्ता एवं श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश गुप्ता	श्री भैरू सिंह सैनी पुत्र श्री सूरज राम सैनी	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, पंजीकृत विक्रय पत्र, पंजीकृत विक्रय पत्र, पंजीकृत इकरारनामा, अपंजीकृत इकरारनामा, अपंजीकृत मुख्यत्यारनामा के आधार पर।
14	31–बी	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	चंदना थडानी पुत्री श्री रमेश थडानी	श्री भैरू सिंह सैनी पुत्र श्री सूरज राम सैनी	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अपंजीकृत इकरारनामा, पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर।
15	32	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री मंगल सिंह	श्री रामावतार अग्रवाल पुत्र श्री मनोहर लाल अग्रवाल	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर।
16	32ए	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्रीमती अंजनी जाजोरिया पत्नी श्री बिहारीलाल जाजोरिया	श्री रामावतार अग्रवाल पुत्र श्री मनोहर लाल अग्रवाल	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर।

17	44	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्रीमती गुमान कंवर पत्नी श्री विमल सिंह एवं श्रीमती हेमलता कंवर पत्नी श्री कृष्ण सिंह तंवर	श्री कैलाश चन्द प्रजापत पुत्र श्री कल्याण जी प्रजापत	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अपंजीकृत इकरारनामा, अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर।

EO

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांकः 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।

15/10/22

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-4
ज. वि. प्रा., जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा. जोन–8/2022/डी– दिनांक

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भू.सं.	भू.क्षे.	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/ज विप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती शान्ति सैनी पत्नी श्री मोहन लाल सैनी	श्री मोती लाल चौधरी पुत्र श्री भोरूजी चौधरी	03	201.60	हसनपुरा ए गृ.नि.स.स.	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम अंकित नही होने से।
2	श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह	श्रीमती अन्जु कुमार पत्नी श्री संजय कुमार	28 (N.S Part)	80	हसनपुरा ए गृ.नि.स.स.	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	अपंजीकृत इकरारनामे से बैंचान होने से।
3	हेमन्त कुमार नेभनानी पुत्र श्री गोविन्दराम नेमनानी	श्रीमती अन्जु कुमार पत्नी श्री संजय कुमार	28 (N.E Part)	80	हसनपुरा ए गृ.नि.स.स.	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में भू.सं. 28सी अंकित नही होने से।
4	श्री हीरालाल सैनी पुत्र श्री रामसहाय सैनी	श्रीमती अन्जु कुमार पत्नी श्री संजय कुमार	28ए	80	हसनपुरा ए गृ.नि.स.स.	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में आवेदक का नाम अंकित नही होने से।
5	श्री विजय जायसवाल पुत्र श्री रामबाबू जायसवाल	सोनिया वरयानी पुत्री श्री दौलतराम	24ए	109.37	हसनपुरा ए गृ.नि.स.स.	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में आवेदक का नाम अंकित नही होने से।
6	श्रीमती प्रेम देवी जायसवाल पत्नी श्री रामबाबु जायसवाल	सोनिया वरयानी पुत्री श्री दौलतराम	24एबी	109.37	हसनपुरा ए गृ.नि.स.स.	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में आवेदक का नाम अंकित नही होने से।

क्रमांकः जविप्रा/उपा. जोन–8/2022/डी–4468 दिनांक 20/10/2022

7	श्री कुंवर पाल सिंह पुत्र स्व0 श्री लाखन सिंह	श्री लाखन सिंह पाल पुत्र श्री तुलसी राम पाल	07 (south Part)	59.16	हसनपुरा ए गृ.नि.स.स.	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	मृत्यु प्रमाण पत्र व हक त्याग के आधार पर विक्रय किये जाने सें।
8	श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री सीताराम चौधरी	श्री रामदेव चौधरी पुत्र श्री मंगला राम	23 (north Part)	95.62	हसनपुरा ए गृ.नि.स.स.	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम अंकित नही होने से।
9	श्रीमती मन्नी देवी पत्नी श्री गोपाल लाल जाट	श्री रामदेव चौधरी पुत्र श्री मंगला राम	23ए (south Part)	75.20	हसनपुरा ए गृ.नि.स.स.	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम अंकित नही होने से।
10	श्रीमती आरती खटवानी	श्री प्रकाश चौधरी पुत्र श्री रामचन्द्र चौधरी	35	158.68	हसनपुरा ए गृ.नि.स.स.	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	अपंजीकृत मु0आम0धारक द्वारा बैचान किये जाने से।

उपायुक्त जोन–8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन–8
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा./जोन–12/2022/डी– 3613 दिनांक 10-10-2022

–: आम सूचना :–

निम्न आवेदक द्वारा सम्पति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	सोसायटी के अनुसार संख्या भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिनके लिऐ आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती बरजी देवी पत्नी श्री प्रभुराम	श्री दौलत सिंह पुत्र श्री अजित सिंह	165	82.30	बाबा आर.एन.गौड	फ्रेन्डस कॉलोनी	फ्री–होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद आदि

सोसायटी द्वारा प्रस्तुत सदस्यता सूची में अंकित नाम में भिन्नता होने के आधार पर पट्टा करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड की लीजडीड/पट्टा जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष मे कर दी जावेगी।

20/10/22

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

20/10/22

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
Direct Line - {+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के तहत जोन–12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री चीरंजी लाल गुप्ता	श्री चिरंजी लाल गुप्ता पुत्र श्री राधामोहन गुप्ता	एफ–22	45.00 वर्गमीटर	जविप्रा	केदार विहार	लीजडीड/ नाम हस्तान्तरण	नोटरी से प्रमाणित वसीयतनामा व शपथ पत्र के आधार पर

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर
यू.ओ.नोट क्रमांक :जविप्रा/जोन–12/2022/डी– 3634
दिनांक 21-10-22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004
दुरभाष – +91–141–2574798 : ईपीबीएक्स – +91–141–2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स–+91–141–2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपायुक्त जोन–1/2022/डी– 2949 दिनांकः– 20/10/22

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती रेखा देवी	श्री प्रकाश पुत्र मांगीलाल	138–ए	49.99 वर्गगज	जविप्रा	झालाना फैज–II	नामहस्तान्तरण/फ्री–होल्ड पट्टा	मुख्तयारनामा, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र,

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/उपा/जोन–11/90ए /2022/डी–2249 दिनांक 21/10/2022

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **खातेदार श्री दिलीप बैद एच.यू.एफ जरिये कर्ता दिलीप बैद पुत्र श्री आनन्दमल बैद एवं श्री आयुष बैद पुत्र श्री दिलीप बैद निवासी–12 तख्तेशाही रोड, जयपुर** द्वारा ग्राम विरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर ख.नं. 268 रकबा 0.78 हैक्ट. एवं खसरा नम्बर 293/2 रकबा 0.35 हैक्ट. ख.नं. 299/2 रकबा 0.27 हैक्ट. ख.नं. 277/534 रकबा 0.15 हैक्ट. ख.नं. 273 रकबा 2.94 हैक्ट. ख.नं. 276 रकबा 0.17 हैक्ट. ख.नं. 277 रकबा 1.55 हैक्ट. ख.नं. 279 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 281 रकबा 0.25 हैक्ट. ख.नं. 282 रकबा 0.45 हैक्ट ख.नं. 283 रकबा 0.23 हैक्ट. ख.नं. 284 रकबा 0.30 हैक्ट. ख.नं. 285 रकबा 0.17 हैक्ट. ख.नं. 286 रकबा 0.33 हैक्ट. ख.नं. 287/2 रकबा 0.09 हैक्ट. ख.नं. 290/2 रकबा 0.07 हैक्ट. ख.नं. 278 रकबा 0.63 हैक्ट. ख.नं. 292/2 रकबा 0.67 हैक्ट. में लघु उद्योग प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

ग्राम विरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर ख.नं. 268 रकबा 0.78 हैक्ट. भूमि का 90 के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 07.9.2021 को लघु उद्योग प्रयोजनार्थ एवं खसरा नम्बर 293/2 रकबा 0.35 हैक्ट. ख.नं. 299/2 रकबा 0.27 हैक्ट. ख.नं. 277/534 रकबा 0.15 हैक्ट. ख.नं. 273 रकबा 2.94 हैक्ट. ख.नं. 276 रकबा 0.17 हैक्ट. ख.नं. 277 रकबा 1.55 हैक्ट. भूमि का 90ए के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 11.7.2016 को कुटीर उद्योग/वेयर हाउस प्रयोजनार्थ एवं ख.नं. 279 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 281 रकबा 0.25 हैक्ट. ख.नं. 282 रकबा 0.45 हैक्ट ख.नं. 283 रकबा 0.23 हैक्ट. ख.नं. 284 रकबा 0.30 हैक्ट. ख.नं. 285 रकबा 0.17 हैक्ट. ख.नं. 286 रकबा 0.33 हैक्ट. ख.नं. 287/2 रकबा 0.09 हैक्ट. ख.नं. 290/2 रकबा 0.07 हैक्ट. भूमि का 90ए के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 11.7.2016 को कुटीर उद्योग/वेयर हाउस प्रयोजनार्थ एवं ख.नं. 278 रकबा 0.63 हैक्ट. ख.नं. 292/2 रकबा 0.67 हैक्ट. भूमि का लघु उद्योग/वेयर हाउस प्रयोजनार्थ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 28.12.2018 को पारीत किया गया था। प्रकरण में 90–क की कार्यवाही किये हुये 1 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अतः प्रकरण में जविप्रा, जयपुर की बी.पी.सी(एल.पी.) की 297वी बैठक दिनांक 15.3.2021 के नीतिगत निर्णय की अनुपालना में सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है।

अतः उक्त विरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 268 रकबा 0.78 हैक्ट. एवं खसरा नम्बर 293/2 रकबा 0.35 हैक्ट. ख.नं. 299/2 रकबा 0.27 हैक्ट. ख.नं. 277/534 रकबा 0.15 हैक्ट. ख.नं. 273 रकबा 2.94 हैक्ट. ख.नं. 276 रकबा 0.17 हैक्ट. ख.नं. 277 रकबा 1.55 हैक्ट. ख.नं. 279 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 281 रकबा 0.25 हैक्ट. ख.नं. 282 रकबा 0.45 हैक्ट ख.नं. 283 रकबा 0.23 हैक्ट. ख.नं. 284 रकबा 0.30 हैक्ट. ख.नं. 285 रकबा 0.17 हैक्ट. ख.नं. 286 रकबा 0.33 हैक्ट. ख.नं. 287/2 रकबा 0.09 हैक्ट. ख.नं. 290/2 रकबा 0.07 हैक्ट. ख.नं. 278 रकबा 0.63 हैक्ट. ख.नं. 292/2 रकबा 0.67 हैक्ट. भूमि का लघु उद्योग प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में लघु उद्योग में मानचित्र जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 21/10/22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन–11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आठ की फोन्ट साईट में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करावें।

2. खातेदार श्री दिलीप बैद एच.यू.एफ जरिये कर्ता दिलीप बैद पुत्र श्री आनन्दमल बैद एवं श्री आयुष बैद पुत्र श्री दिलीप बैद निवासी–12 तख्तेशाही रोड, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन–11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांकः–जविप्रा/उपा./पीआरएन–उत्तर(द्वितीय)/2022/डी– 1582 दिनांकः– 20/10/22

–:सार्वजनिक सूचनाः–

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू–आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर–द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये है। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:–

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	कपिल शर्मा/कमल किशोर शर्मा (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना–जगदम्बा नगर–बी)	बी–72	273.
2	यतेन्द्र/सुरेन्द्र कुमार, एंव अखिलेश शर्मा, अनिता/यतेन्द्र शर्मा (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना–जगदम्बा नगर–बी)	बी–160बी	121.11
3	विनीता अरोडा/सम्पत राम अरोडा (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना–जगदम्बा नगर–बी)अपंजीकृत इकरारनामा से	बी–278	400
4	रामअवतार गुप्ता/हरेती लाल गुप्ता (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना–जगदम्बा नगर–बी)अपंजीकृत इकरारनामा से	बी–280ए	265
5	विपिन काला/अशोक काला (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना–जगदम्बा नगर–बी)अपंजीकृत इकरारनामा से	बी–284	400
6	गीता कटारिया/शंकर लाल, यतिन्दर, कविन्दर, कविन्दर/शंकर लाल (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना–जगदम्बा नगर–बी)अपंजीकृत मु.आम	बी–176	128.30
7	राजेश कुमार शर्मा/प्रभुनारायण शर्मा (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना–जगदम्बा नगर–बी)	बी–281	180

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–II
जविप्रा,जयपुर।

पी.आर.एन. (उत्तर-II)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।

2- उक्त पत्रावलीयों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–II
जविप्रा,जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू ओ नोट

विषयः– विज्ञप्ति प्रकाशन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ लविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री महेन्द्र कुमार एवं श्री किशन कुमार पुत्र घासीराम एवं लालचन्द सैनी	श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी श्री श्रवण लाल सैनी	2	301.00	श्री गणपति	बालाजी नगर	नियमन	सदस्य सूची में नाम अंकित नही
2	श्रीमती हेम कवंर पत्नी श्री शम्भु सिंह शेखावत	श्री शम्भुसिंह शेखावत पुत्र श्री बुधसिंह शेखावत	एफ–25 पश्चिमी भाग	250.00	सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
3	श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्व. श्री बृजकिशोर	श्री बृजकिशोर पुत्र श्री राम बलाई	एफ–30	160.00	सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
4	श्रीमती माया देवी पत्नी श्री राजू	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री मांगूराम	एफ–44 मध्यम भाग	80.00	सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
5	श्री रामेश्वरलाल पुत्र श्री साधुराम	श्री शुभकण पुत्र श्री लादूराम	एफ–51	203.00	सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
6	श्री राजेन्द्र कुमार जांगिड पुत्र श्री गोरधन लाल	श्री सोहनलाल पुत्र श्री जालूराम	एफ–3		सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	विरासत के आधार पर
7	श्री शशांक पुत्र श्री गिरीश चन्द	री प्रभुदयाल पुत्र श्री कपूरचन्द	एफ–6बी	104.06	सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	भूखण्ड संख्या की भिन्नता
8	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री हीरालाल	श्रीमती सुरबाला पत्नी श्री बृजभूषण	एफ'6ए	104.06	सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
9	श्री बाबूलाल पुत्र श्री किस्तूर चन्द	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री मांगूराम	एफ–44 पश्चिमी भाग	160.00	सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

10	श्री रमेश चन्द जांगिड पुत्र श्री गोपीराम	श्री पारसमल पुत्र श्री जीवराज	एफ–16 उत्तरी भाग		सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
11	श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री गोपीराम	श्री पारसमल पुत्र श्री जीवराज	एफ–16 दक्षिणी भाग	13.33	सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
12	श्री हरफूल सिंह पुत्र श्री नानगराम	श्री हरफूल सिंह पुत्र श्री नानगराम	एफ–11		सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
13	श्री जितेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रोहताश कुमार	श्री हरफूल सिंह पुत्र श्री नानगराम	एफ–11	127.00	सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
14	श्रीमती सीमा सोनी एवं श्री नेमीचन्द	श्री बजरंग सिंह पुत्र श्री गंगासिंह	एफ–33	120.00	सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
15	श्रीमती इन्दुबाला पत्नी श्री मोहनलाल	श्री अर्जुनलाल पुत्र श्री रेवडराम	एफ–46ए	111.11	सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
16	श्रीमती विध्या देवी पत्नी श्री नाथूलाल	श्री मोहन सिंह पुत्र श्री सुरजाराम	एफ–27बी	88.88	सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
17	श्री गोविन्दर नारायण व पवन कुमार पुत्र श्री मक्खन लाल	श्री पूनमचन्द पुत्र श्री पूषाराम	एफ–8 दक्षिणी भाग	170.00	सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
18	श्री महावीर सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह	श्री छीतरमल पुत्र श्री नानगराम	एफ–32	256.00	सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	विक्रय पत्र एवं साईट प्लान पर सील नही
19	श्रीमती बाली देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द	श्री उमेश चन्द पुत्र श्री चन्द्रिका प्रसाद	एफ–31	200.00	सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	सूची में नाम की भिन्नता
20	श्री ललित कुमार पुत्र श्री चिरंजी लाल	श्री नन्दलाल पुत्र श्री मोहनलाल	एफ–5 उत्तरी भाग	138.27	सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
21	श्री मुकेश कुमार पुत्र स्व. श्री नारायण लाल	श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री मोहनलाल	एफ–4	150.00	सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	मूल रसीद गुम
22	श्री विजय प्रताप सिंह पुत्र श्री रामगोपाल	श्री रामकिशन पुत्र श्री रेवडमल	एफ–45	212.00	सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
23	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री चन्द्रपाल	श्री सोहनलाल पुत्र श्री जालूराम	एफ–3 उत्तरी भाग	270.00	सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
24	श्री राजकुमार शर्मा एवं श्री विजय शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री हनुमान प्रसाद	एफ–35	200.00	सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज

25	श्री ललित कुमार पुत्र श्री शंकर लाल	श्री नाथूलाल व श्री रामस्वरूप पुत्र कन्हैया लाल	एफ–41ए व 41बी	280.00	सिंधु नगर	16–एफ न्यू कालोनी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
26	श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री पंकज	श्री सोहनलाल पुत्र श्री दूलाराम	6	169.00	शंकर भवन	रतन विंहार	नियमन	साईट प्लान नही
27	श्री पिथाराम पुत्र श्री हेमाराम	श्री दीपक कुमार पुत्र श्री हेमाराम	16 मध्य भाग		शंकर भवन	रतन विंहार	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
28	श्री सुन्दरलाल पुत्र श्री हेमाराम	श्री दीपक कुमार पुत्र श्री हेमाराम	16 पूर्वी भाग		शंकर भवन	रतन विंहार	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
29	श्री केदारमल पुत्र श्री रामधन	श्री कैलाश पुत्र श्री नारायण	14 दक्षिणी भाग	450.00	शंकर भवन	रतन विंहार	नियमन	मूल दस्तावेज गुम
30	श्रीमती सुशीला पत्नी श्री बंशीधर	श्री बिरदीचन्द पुत्र श्री गोपीराम	24	140.00	शंकर भवन	रतन विंहार	नियमन	सूची में नाम अंकित नही
31	श्री विजय व श्री सुभाष पुत्र स्व. श्री नारायण लाल	श्री रामपाल पुत्र श्री मांगूराम	5	217.00	शंकर भवन	रतन विंहार	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
32	श्री हीरालाल पुत्र श्री रामधन	श्री कैलाश पुत्र श्री नारायण	14 उत्तरी भाग	200.00	शंकर भवन	रतन विंहार	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
33	श्री गणेश नारायण पुत्र श्री जमनालाल	श्री सुभाष पुत्र श्री रामचन्द्र	17 पश्चिमी भाग	175.00	शंकर भवन	रतन विंहार	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
34	श्री राधेश्याम पुत्र श्री जमन लाल	श्री सुभाष पुत्र श्री रामचन्द्र	17 पूर्वी भाग	175.00	शंकर भवन	रतन विंहार	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
35	श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री हीरालाल	श्री अनिल पुत्र श्री ओमप्रकाश	19	300.00	शंकर भवन	रतन विंहार	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
36	श्री सुनील आढा पुत्र श्री हिंगलाल आढा	श्री नाथूसिंह पुत्र श्री डूंगर सिंह	124	277.66	म्युचुअल	स्कीम 25 शिवनगर व शिवनगर द्वितीय	नियमन	मूल दस्तावेज गुम
37	श्री कालूराम जांगिड पुत्र श्री मूलचन्द जांगिड	श्री मूलचन्द जांगिड पुत्र श्री गणेश नारायण जांगिड	8	138.33	मित्र	परसरामपुरा स्कीम 5	उपविभाजन/ नाम हस्तान्तरण	उत्तराधिकार के आधार पर

38	श्री श्याम सिंह जाट पुत्र श्री कानाराम जाट	भौरिया	617		श्री छत्रपति शिवाजी	प्रताप नगर विस्तार	नयमन	

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन–6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।
यू.ओ.नोट कमांकः जविप्रा/जोन–6/22/डी–3534
दिनांक 14.10.2022
20/10/22

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102161 दिनांक: 21/10/2022

लोक सूचना

श्री **NARENDRA KUMAR GOSWAMI** पुत्र श्री **RAM CHANDRA GOSWAMI** जाति **GOSWAMI** निवासी **G17/5RAGHURAJ ENCLAVE KRISHANA MARG C-SCHEME**

श्री **HARISH CHANDRA RAJORIA** पुत्र श्री **GHASHI RAM RAJORIA** जाति **RAJORIA** निवासी **PLOT NO.167D AJMER ROAD NARAYAN VIHAR O PAHSE-11SEC.51 JAIPUR**

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **औद्योगिक** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1	महला, मौजमाबाद (जयपुर)	NARENDRA KUMAR GOSWAMI S/O R.C. GOSWAMI CAST RAIGAR G-17/5 RAGHURAJ ENCLAVE KRISHANA MARG C-SCHEME	28	7500	0.75
2	महला, मौजमाबाद (जयपुर)	NARENDRA KUMAR GOSWAMI S/O R.C. GOSWAMI CAST RAIGAR G-17/5 RAGHURAJ ENCLAVE KRISHANA MARG C-SCHEME	29	8300	0.83
3.	महला, मौजमाबाद (जयपुर)	NARENDRA KUMAR GOSWAMI S/O R.C. GOSWAMI CAST RAIGAR G-17/5 RAGHURAJ ENCLAVE KRISHANA MARG C-SCHEME	30	17000	1.7
4.	महला, मौजमाबाद (जयपुर)	NARENDRA KUMAR GOSWAMI S/O R.C. GOSWAMI CAST RAIGAR G-17/5 RAGHURAJ ENCLAVE KRISHANA MARG C-SCHEME	32	1800	0.18
5.	महला, मौजमाबाद (जयपुर)	NARENDRA KUMAR	33	800	0.08

		GOSWAMI S/O R.C. GOSWAMI CAST RAIGAR G-17/5 RAGHURAJ ENCLAVE KRISHANA MARG C-SCHEME			
6	महला, मौजमाबाद (जयपुर)	NARENDRA KUMAR GOSWAMI S/O R.C. GOSWAMI CAST RAIGAR G-17/5 RAGHURAJ ENCLAVE KRISHANA MARG C-SCHEME	34	1400	0.14
7	महला, मौजमाबाद (जयपुर)	NARENDRA KUMAR GOSWAMI S/O R.C. GOSWAMI CAST RAIGAR G-17/5 RAGHURAJ ENCLAVE KRISHANA MARG C-SCHEME	37	5500	0.55
8	महला, मौजमाबाद (जयपुर)	NARENDRA KUMAR GOSWAMI S/O R.C. GOSWAMI CAST RAIGAR G-17/5 RAGHURAJ ENCLAVE KRISHANA MARG C-SCHEME	38	89300	8.93
9.	महला, मौजमाबाद (जयपुर)	HARISH CHANDRA RAJORIA S/O GHASI RAM RAJORIIA CAST BALAI ADD. 35 GULAV BADI CHANDPOL BAZAR JAIPUR	31	11000	1.1
10.	महला, मौजमाबाद (जयपुर)	HARISH CHANDRA RAJORIA S/O GHASI RAM RAJORIIA CAST BALAI ADD. 35 GULAV BADI CHANDPOL BAZAR JAIPUR	35	8000	0.8
11.	महला, मौजमाबाद (जयपुर)	HARISH CHANDRA RAJORIA S/O GHASI RAM RAJORIIA CAST BALAI ADD. 35 GULAV BADI CHANDPOL BAZAR JAIPUR	36	3800	0.38
				कुल	**15.44**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **21-10-2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/102163 दिनांकः 21/10/2022

लोक सूचना

श्री **ANU AGARWAL** पत्नी श्री **RAKESH AGARWAL** जाति **MAHAJAN** निवासी **701 AKSHAT NILAY APARTMENT HAWA SADAK CIVIL LINES JAIPUR**

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	नीमेडा, जयपुर (जयपुर)	ANU AGARWAL W/O RAKESH AGARWAL	364/1	5059	0.5059
				कुल	**0.5059**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **21-10-2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर